न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः– अपील/03/2016

जुमरदीन पुत्र स्व. शकरू खां जाति कलाल मुसलमान निवासी मंगलूणा हाल राजलदेसर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू

–अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत मंगलूणा, पंचायत संमिति लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये सरपंच
2. सचिव, ग्राम पंचायत मंगलूणा, पंचायत संमिति लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
3. भंवरू खां पुत्र नूरमोहम्मद तथाकथित पुत्र शकरू खां जाति कलाल मुसलमान निवासी झुंझुनूं हाल मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम
विरूद्ध ग्राम पंचायत मंगलूणा, पंचायत संमिति लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
नामान्तरकरण सं 702 दिनांक 16.10.77 बाबत स्वीकार करने नामान्तरकरण

–निर्णयः– **दिनांक – 14.05.2018**

अपीलांट कि ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से कि कि अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट सं. 3 एक ही परिवार के सदस्य है। अपील प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित वंशावली संरपंच ग्राम पंचायत मंगलूणा पंचायत संमिति लक्ष्मणगढ़ द्वारा जारी वारिस प्रमाण दिनांक 18.01.2012 से पूर्णतया साबित है वारिस प्रमाणपत्र की नकल अपील के साथ पेश है।

यह कि उपरोक्त वंशावली के मुताबिक खातेदार शकरू खॉ पुत्र खुदाबक्स कलाल निवासी मंगलूणा के पुत्र के रूप में कोई जाईन्दा जुत्र अथवा गोद का पुत्र नहीं था बल्की उसके दो जीवित पुत्रीया सकीना रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की माता एवं फातमा जो अपीलान्ट की माता है उत्पन्न हुई जो खातेदार शकरू खॉ के देहान्त के बाद उसकी जायज उतराधिकारी व जायज वारिस संभाग रूप से बनी जो दोनो ही उस समय शादी शुदा थी सकीना ने झुंझुनू निवासी नूरमोहम्मद से निकाह किया जिससे उसके दो पुत्र भंवरू खां व लालमोहम्मद खा उत्पन्न हुये व फातमा ने शकरू खां निवासी राजलदेसर से निकाह किया जिससे उसके अपीलान्ट एवं हाकमअली, लालमोहम्मद व सिराजूदीन, सदीक मोहम्मद एवं अहमदअली, खुशीमोहम्मद व मुंशी खां उत्पन्न हुये सिराजूदीन व सदीकमोहम्मद का भी देहान्त होने पर उसके जायय उतराधिकारी उनकी पत्नीया व पुत्र बने जिसका वर्णन वंशावली में दिया गया है शकरू खां पुत्र बुदाबक्स कलाल निवासी मंगलूणा के द्वारा अपने जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 भंवरू खां को कभी भी अपना दत्तक पुत्र गृहण नहीं किया और न उसके कोई पुत्र था इसलिये उसके मरने के बाद उसकी कृषि भूमिया खसरा नम्बर 42 रकबा 8.09 हैक्टेयर खसरा नम्बर 85 रकबा 4.17 हैक्टेयर खसरा नम्बर 198/2 रकबा 1.71 हैक्टेयर खसरा नम्बर 118 रकबा 2.38 हैक्टेयर खसरा नम्बर 183 रकबा 2.73 हैक्टेयर खसरा नम्बर 411 रकबा 0.34 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 417 रकबा 2.11 हैक्टेयर कुल किता 7 कुलक्षैत्रफल 21.43 हैक्टेयर भूमि ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ में 1/2 हिस्सा सकीना व उसके उपरोक्त वारिसान का व 1/2 हिस्सा फातमा व उसके उपरोक्त वारिसान का संभाग रूप से बना इसके अतिरिक्त अन्य कोई वारिस इस संसार में मृत खातेदार शकरू खॉ का नही है मृत खातेदार शकरू खॉ का नही है मृत खातेदार शकरू खॉ समवत् 2012 के पूर्व में ही इन भूमियों पर अपने जीवन काल में समवत् 2035 तक खातेदार व काबिज काश्तकार रहा है सकीना व फातमा के वारिस अपने अपने हिस्सों के मुताबिक मौके पर इन सम्पूर्ण जमीनों को बिना विभाजन करवायें शामलाती रूप से काश्त करते आ रहे है रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व इसका कोई लालमोहम्मद उर्फ मंशी दोनो ही काफी तेज तर्रार व्यक्ति होने व इनके पास राजनैतिक पहुच होने के कारण इन लोगों ने उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण काश्त भूमियों को हड़पने के लिये रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के द्वारा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मंगलूणा से साज करके बिना किसी विधिक गोद पत्र के व बिना किसी सक्षम दस्तावेज के अपने आपको गलत रूप से मृत खातेदार शकरू खॉ का दत्तक पुत्र गलत रूप से खातेदार सम्पूर्ण भूमियों की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 702 कतई गलत से षडयंत्र करके अपने नाम दर्ज करवा लिया जो नामान्तरकरण संख्या 702 निम्न लिखित कारणों से निरस्त किये जाने योग्य है–

(क) कि मृत खातेदार शकरू खॉ के देहान्त के समय उसकी दो जाईन्दा पुत्रीया सकीना व फातमा जीवित थी जो उसकी विरासत में 1/2 एव 1/2 हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी थी जिसके बाबत ग्राम पंचायत मंगलूणा के द्वारा कोई जांच नहीं की और नही नामान्तकरण पंजीका में इसका कोई उल्लेख किया गया और नहीं नामान्तरकरण पंजीका पर

Web Copy Not Official

कोई वंशावली मृत खातेदार की अंकित कि गई इसलिये नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य है।

(ख) कि नामान्तरकरण संख्या 702 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के नाम खातेदारी दर्ज करने से पूर्व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 भंवरू खॉ के पास कोई रजिस्र्टर्ड गोदनामा अन्य कोई गोदनामा का दस्तावेज लिये बिना ही विधि विरूद्ध तरिको से उसके पक्ष में नामान्तरकरण सख्या 702 खोलागया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(ग) कि नामान्तरकरण पंजीका संख्या 702 में विवादित भूमियों के कोई खसरा नम्बर व अलग अलग रकबा दर्ज नहीं होने से भी उक्त नामान्तरकरण विधि के नियमों में नहीं आता है और निरस्त किये जाने योग्य है।

(घ) कि मुस्लिम विधि में किसी व्यक्ति को गोद लेने व देने का कोई प्रावधान नहीं है और मुस्लिम पेगम्बर ने इसे धर्म के विरूद्ध बताया है इस कारण तथाकथित गोद के आधार पर ग्राम पंचायत मंगलूणा के द्वारा भरी गई विरासत विधि विरूद्ध साबित होने से नामान्तरकरण संख्या 702 निरस्त किये जाने योग्य है।

(ड़) कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 भंवरू खॉ नूरमोहम्मद निवासी झुंझुंनू की जाईन्दा सन्तान और नूरमोहम्मद की मृत्यु के बाद उसकी विरासत में झुंझुंनू में सम्पतियों में अपना हिस्सा प्राप्त किया है इससे भी यह साबित है कि उक्त भंवरू खॉ जो तथाकथित रूप से गोद नहीं गया इस बाबत भी ग्राम पंचायत मंगलूणा के तत्कालीन सरपंच महोदय के द्वारा कोई जांच नहीं कि गई इसलिये नामान्तरकरण संख्या 702 गलत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(च) कि विवादित भूमियों सम्पूर्ण के 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट व उसके भाईयों का आज भी कब्जा व काश्त अपनी माता फातमा के समय से ही कायम है इससे पूर्व उनकी माता फातमा का कब्जा व काश्त शंकरू खॉ के देहान्त होते ही कायम हो गया था मौक पर कब्जे की स्थिति बाबत भी ग्राम पंचायत मंगलूणा के द्वारा कोई जॉच कि गई और शकरू खॉ के अन्य उतराधिकारियों से कोई जॉच कि जिसके अभाव में नामान्तरकरण संख्या 702 विधि विरूद्धहोने से खारिज किये जाने योग्य है।

(छ) कि विरासत के नामान्तरकरण में मुख्य बिन्दू में वास्तविक वारिस होना और मौके पर काबिज होना आवश्यक है इन दोनो ही तथ्यों की जॉच किये बिना ही ग्राम पंचायत मंगलूणा ने नामान्तरकरण संख्या 702 दर्ज किया है जो विधि विरूद्धहोने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

(ज) कि नामान्तरकरण संख्या 702 दर्ज करते समय व इससे पूर्व अपीलान्ट व उसके भाईयों को अथवा उनकी माता फातमा को ग्राम पंचायत मंगलूणा के द्वारा सुनवाई करने का व अपने पक्ष के तथ्य रखने का कोई अवसर प्रदान नहि किया है इसलिये नामान्तरकरण संख्या 702 विधि विरूद्ध दर्ज किया गया है जो खारिज योग्य हैं।

(झ) कि नामान्तरकरण संख्या 702 की पंजीका में ग्राम पंचायत मंगलूणा द्वारा लिये गये ग्राम सभा की बैठक की प्रस्ताव की संख्या व दिनांक अंकित नहीं की है। जिससे भी आज्ञा विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि नामान्तरकरण संख्या 702 भरे जाते समय तत्कालीन संरपच सुल्तानसिंह के द्वारा मृत खातेदार शकरू खॉ पुत्र खदाबक्स कलाल का केवल मात्र एक ही वारिस रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 को माना और नामान्तरकरण पंजीका से अन्य वारिसान का नाम हजफ करते हुये गलत नामान्तरकरण भरा गया जब कि 18.01.2012 को वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत मंगलूणा के द्वारा मृत खातेदार शकरू खॉ का जो वारिस प्रमाण जारी किया गया है उससे यह भली भांति साबित है कि मृत शकरू खॉ के रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 भंवरू खॉ दत्तक पुत्र नही था और उसके अन्य वारिसान भी इस संसार में मौजूद है वारिस प्रमाण पत्र 18.01.2012 से भी नामान्तरकरण सख्या 702 गलत व साजिशी साबित होता है और उक्त नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि नामान्तरकरण संख्या 702 दिनाक 16.10.77 को ग्राम पंचायत मंगलूणा के द्वारा तस्दीक किया गया है जिसके आधार पर विवादित उपरोक्त भूमियों के सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के नाम गलत रूप से दर्ज करके अपीलान्ट व उसके भाईयों को व माता को उनके इन जमीनो में मौजूद 1/2 हक हिस्से की भूमि से सदैव के लिये वंचित करने के लिये गलत रूप से उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जिससे अपीलान्ट को असीम नुकसान कारित हुआ है और ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त नामान्तरकरण बाला–बाला गुप्त रूप से मजमा ए खास में दर्ज न करके बंद कमरे में दर्ज किया है जिसकी जानकारी प्रथम बार 17.02.2012 को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हल्का पटवारी से मिलने पर हुई तब जानकारी हाने पर अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 18.022012 को मिलकर उसे इस गलत गलत नामान्तरकरण संख्या 702 को खारिज करवा लेने के लिये काफी मनाया तो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 विवादित नामान्तरकरण को निरस्त करवाने के साफ इन्कार कर दिया इसलिये उसकी इन्कारी के दिन 18.02.2012 को व प्रथम बार जानकारी के दिन 17.02.2012 को अपीलान्ट को अपील का आधार उत्पन्न हुआ है और यह अपील प्रस्तुत करनी आवश्यक है।

यह कि विवादित नामान्तरकरण ग्राम पंचायत मंगलूण के द्वारा भरा गया है जिसके आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का माननीय न्यायालय को पूर्ण क्षैत्राधिकार प्राप्त है। यह कि

अपील जानकारी होने के दिन से व इन्कारी के दिन से अन्दर मियाद पेश है। यह कि अपील 4/—रूपये न्याय शुल्क पर सादर पेश है।

अतः अपील मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कि जाकर ग्राम पंचायत मंगलूणा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर की आज्ञा दिनांक 16.10.77 बाबत नामान्तकरण संख्या 702 ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ को खारिज फरमाये जाने की कृपा करे। और बाद जॉच शकरू खां पुत्र खुदाबक्स कलाल की विरासत विधिक रूप से वास्तविक वारिसान नाम विरासत की खातेदारी दर्ज करने के ओदश प्रदान करने की कृपा करे।

साथ ही अपील के साथ अपीलान्ट की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी पेश किया जिसमें अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 भंवरू खॉ के द्वारा दिनांक 16.10.77 को ग्राम पंचायत मंगलूणा के तत्कालीन सरपंच से साज करके बपने आपको गलत तथाकथित रूप से मृत खातेदार शकरू खां का दत्तक पुत्र बिना किसी दस्तावेज के बताकर गुप्त रूप से बंद कमरे में नामान्तरकरण संख्या 702 दर्ज करवालिया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को राजलदेसर तहसील रतनगढ़ में निवास करने के कारण नही हो पाई और सर्वप्रथम उक्त नामान्तरण दर्ज होने की जानकारी दिनांक 17.02.2012को उक्त नामान्तरकरण की नकल लेने पर हुई साथ ही उक्त जानकारी होने पर अपीलान्ट के द्वारा भंवरू खां से उक्त नामान्तरकरण खारिज करवा लेने बाबत परिवार के सदस्यों के साथ बातचित करने पर वह इसके लिये सहमत हो गया और कुछ समय मांगा और अ बवह दिनांक 18.02.2012 से ही ऐसा करने से साफ इन्कार हो चूका है इस प्रकार विवादित नामान्तरकरण भरने की जानकारी प्रथमबार दिनांक 17.02.2012 को अपीलान्ट को हुई है इससे पूर्व इसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं रही है जानकारी के बाद रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 से बात चित करने पर इसके द्वारा पहले सहमति दी और बाद में इन्कार हो गया इस कारण अपील प्रस्तुती में हुआ विलम्ब न्यायहित से उपरोक्त कारणों से क्षमा किय जाने योग्य है।क्यों कि प्रस्तुत अपील मैं अपीलान्ट के साम्पत्तिक अधिकार क्षतिग्रस्त होने से बचने के लिये यह अपील प्रस्तुत की जा रही है इसलिये अगर अपील प्रस्तुती मे। विलम्ब होना मान जावे तो उक्त विलम्ब न्यायहित में क्षमा किया जाना और अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदनहै कि अपील प्रस्तुती में हुये विलम्ब को उपरोक्त कारणों से न्यायहित में क्षमा करने की कृपा करे और अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरीये नोटिस रेस्पोंडेंटस को तलब किया गया। रेस्पोंडेंट्स सं. 1 व 2 पर विधिवत तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोंडेंट सं. 3 कि ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये परन्तु जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को रिपोर्ट हेतु लिखा गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत—न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प मंगलूणा में पेश हुई। कैम्प स्थल पर ही तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट पेश की गई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अभिलेखों का अवलोकन किया। उपरोक्त समग्र अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण अपील का है जो कि न्यायालय में वर्ष 2012 से लम्बित हे। प्रकरण में उल्लेखित नामान्तकरण को ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये ही तस्दीक कर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। जो कि प्रथत दृष्ट्या विधि विरूद्ध प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मंगलूणा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के नामान्तकरण संख्या 702 दिनांक 16.10.77 बाबत ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ को को अपास्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उक्त वर्णित आराजियात में शकरू खां पुत्र खुदाबक्स कलाल के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को केम्प कोर्ट मंगलूणा मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)